रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1989/आषाढ़ 14, 1911
No. 407] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1989/ASADHA 14, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1989

का. आ. 527(अ):—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 43) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कयर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) उपविधि, 1968 का और संशोधन करने के लिए कयर बोर्ड द्वारा बनाई गई और केन्द्रीय

सरकार द्वारा पुष्ट निम्नलिखित उपविधि उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित की जाती है, अर्थात् :—

1. (i) इस उपविधि का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) संशोधन उपविधि, 1989 है।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. उपविधि 2 में खंड (छ) के उपखंड (ख) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण:— समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ पदों से वे पद अभिप्रेत होंगी जिनका वर्णन निम्नलिखित होगा:—

क्रम सं. पदों का वर्णन	पदों का वर्गीकरण
1. कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4000/—रुपए से कम नहीं है	समूह क
2. कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 2,900/— रुपए से कम नहीं है, किन्तु 4000/—रुपए से कम है	समूह ख
3. कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 1,150 रुपए से अधिक है किन्तु 2,900/— रुपए से कम है।	समूह ग
4. कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतन मान 1,150/— रुपए या उससे कम है।	समूह घ

[सं. 6 (1) /85 कयर]

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

अधिसूचना सं. का. आ. 1781 तारीख 15-5-1968 का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है :—

(1) अधिसूचना सं.का. आ. 3491, तारीख 1-9-1976

(2) अधिसूचना सं. का. आ. 3660, तारीख 12-7-1976

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1989

S.O. 527(E).—The following bye-laws further to amend the Coir Board Employees(Conduct)bye-laws,1968 made by the Coir Board in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and confirmed by the Central Government, are hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, namely :—

1. (i) These bye-laws may be called the Coir Board Employees (Conduct) Amendment bye-laws, 1989.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In bye-law 2, for the Explanation given under sub-clause (b) of clause (g), the following "Explanation" shall be substituted, namely :—

"Explanation" :--Group A, Group B, Group C and Group D posts shall mean those posts having the following description :—

Sl. No.	Description of posts	Classification of posts
1.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 4,000/-	Group A
2.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 2,900/- but less than Rs. 4,000/-	Group B
3.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 1,150/- but less than Rs. 2,900/-	Group C

Sl. No.	Description of post	Classification of posts
4.	A post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 1,150/- or less.	—Group D

[No. 6(1)/85-Coir]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

Notification No. S.O. 1781 dated 15-5-1968 has been amended vide the following:—

(1) Notification No. S.O. 3491 dated 1-9-1976.

(2) Notification No. S.O. 3660 dated 12-7-1985.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989